

कार्यालय— अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक :: वा०क०अधि०/पू०पी०ग०/ /2017, लखनऊ : दिनांक : फरवरी 21, 2017

—:: आदेश ::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह मार्च 2017 में दिनांक 15-03-2017 से दिनांक 17-03-2017 तक के लिए मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है। गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्रीमती साधना त्रिपाठी, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ एवं श्री विनोद कुमार वर्मा, सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ-2, वाराणसी सम्मिलित होंगे।

सम्बन्धित को तदनुसार अवगत कराया जाये।

ह०-21-02-2017

(उमेश चन्द्र त्रिपाठी)

एच०ज०एस०,

अध्यक्ष,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन : वा०क०अधि०/पू०पी०ग०/ ३३८ /2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ-2, लखनऊ।
- 2— सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, वाराणसी पीठ-2, वाराणसी।
- 3— राज्य प्रतिनिधि, सम्बद्ध पूर्ण पीठ लखनऊ।
- 4— अध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन/टैक्स लायर्स एसोसियेशन लखनऊ को इस आशय एवं अनुरोध के साथ कि इस सूचना से समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से अवगत कराये।
- 5— श्री शिव कुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, उ०प्र०टैक्स बार एसोसिएशन, एस.एस.कालेज रोड, जमुना विहार, खतौली, मुजफ्फरनगर-251201 व श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, महासचिव, उ०प्र० टैक्स बार एसोसिएशन, एस-५/४५, अर्दली बाजार, वाराणसी-221002 को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 6— श्री आर०एस० गोयल, अधिवक्ता टैक्सयों एकेडमी एण्ड वेलफेर फोरम वेस्टर्न उ०प्र०, ५२ नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घंटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि इसकी सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 7— श्री आर०एस० गोयल, अधिवक्ता टैक्सयों एकेडमी एण्ड वेलफेर फोरम वेस्टर्न उ० प्र०, ५२, नगर निगम कम्पाउण्ड, केसरगंज, घंटाघर रोड, मेरठ सिटी को इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित सूचना समस्त अधिवक्तागण, जो टैक्स बार के सदस्य हों, को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 8— पेशकार/अहलमद/वरिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर) मुख्यालय।

आज्ञा से

CJG
मिबन्धक

वाणिज्यकर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।